न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—254 / 2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या :—159 / 2021

06.09.2021 आवेदकगण / अभियुक्तगण विजय शर्मा एवं राम विनय शर्मा की ओर से ई—फायलिंग के तहत उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल करते है तत्पश्चात् आवेदकगण वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 379 भा0दं0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा आवेदकगण के विरूद्ध अपोषणीय है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 324, 379 एवं 504 / 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । चोरी की गई सामग्री की बरामदगी अभी तक नही हुई है । उपरोक्त धाराओं में धारा 379 भा0दं0सं0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा जहाँ तक धारा 379 भा0दं0सं0 का सम्बन्ध है तो, चोरी की गई कोई सामग्री इस चरण में चोरी का आरोप अलंकृत प्रतीत होता है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है, जिससे यह संभव प्रतीत होता है कि वह विचारण का सामना करेंगे । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदकगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदकगण / अभियुक्तगण को मो0—10000X1 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।